



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243893
CG-DL-E-24022023-243893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]
No. 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 125(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 21क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“21ख. वायुयान को पट्टे पर देने के संबंधी क्रियाकलाप यूनिटें - अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई यूनिट जो वायुयान को पट्टे पर देने के लिए प्राधिकृत है, यदि उसे अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा अलग से कार्यालय अनुरक्षित न करने के लिए अनुज्ञापन किया जाए तो वायुयान को पट्टे पर देने संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित, किसी अन्य यूनिट के कार्यालय स्थान या जनशक्ति या दोनों का, उपयोग कर सकेगी।”

[फा. सं. के-43013(12)/1/2022-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के में प्रकाशित किए गए थे और अंत में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 868(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2023

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 21A, the following rule shall be inserted, namely: -

"21B. Units dealing with aircraft leasing activities. - A Unit in an International Financial Services Centre, authorised to undertake aircraft leasing activity, if allowed by the International Financial Services Centre Authority not to maintain separate office, may utilise office space or manpower or both, of another unit set up in International Financial Services Centre authorised to undertake aircraft leasing activity, as may be approved by the Authority."

[F. No. K-43013(12)/1/2022-SEZ]

Vipul Bansal, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 868(E), dated the 8th December, 2022.